सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **256/2017** दायर दिनाँक **11.09.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. भँवरसिंह पुत्र कानसिंह, जाति–रावणा राजपूत, उम्र–52साल, निवासी–छापरीकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. लिछमणसिंह पुत्र कानसिंह, जाति–रावणा राजपूत, उम्र–50वर्ष, निवासी–छापरीकलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. नायब तहसीलदार, मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act., सपठित धारा 136 R.L.Act.

उपस्थित :–

1. श्री दानाराम भाटी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री जगदीश गिरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **09.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद छापरी कलाँ में खेत खसरा नम्बर 235/61 रकबा 16.09 बीघा की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पिता स्वर्गीय कानाराम पुत्र नारायणराम के नाम से वर्तमान में दर्ज है। नकल खतौनी पेश है।

स्वर्गीय कानसिंह के चार पुत्रगण, वादी भँवरसिंह, प्रतिवादी संख्या 01 लिछमणसिंह, हड़मानसिंह (अविवाहित फौत) व नरपतसिंह हुए। नरपतसिंह पुत्र स्वर्गीय कानसिंह अपने विवाह के बाद फौत हो गया व उसकी पत्नी ने पुनर्विवाह कर लिया। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की माता शान्तिकँवर का भी स्वर्गवास हो चुका है।

वाद वर्णित ग्राम छापरीकलाँ में खेत खसरा नम्बर 235/61 रकबा 16.09 बीघा भूमि जो वादी भँवरसिंह व प्रतिवादी संख्या 01 लिछमणसिंह के पिता स्वर्गीय कानसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी छापरी कलाँ के पैतृक कब्जाकाश्त, स्वामित्व व कब्जाकाश्त की थी। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता के जीवनकाल से व देहान्त पश्चात् वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ही का कब्जाकाश्त है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का सही व सत्य नाम कानसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत है जो कि समस्त दस्तावेजात् में दर्ज है, जैसे मृत्यु प्रमाण–पत्र, परिवार राशन–कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आदि समस्त राजकीय दस्तावेजात् में कानसिंह पुत्र नारायणसिंह दर्ज है। फौटो प्रतियां वाद के साथ पेश है।

वादी के पिता का सही नाम कानसिंह पुत्र नारायणसिंह है जबकि सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में कानाराम पुत्र नारायणराम कौम दरोगा दर्ज हो गया है।

वादी द्वारा वादग्रस्त खेत की खतौनी नकल लेने से उपर्युक्त सहवन से दर्ज नाम की जानकारी हुई है। वादी के अन्य समस्त दस्तावेजात् में दर्ज नाम व वादी के वादग्रस्त खेत की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज नाम "कानाराम पुत्र नारायणराम, कौम दरोगा" की जानकारी वादी को हुई, जिससे वादी को अनेक परेशानियां है व वादी अब इसे दुरस्त करवाना चाहता है, इस हेतु वाद पेश है।

वादी भँवरसिंह व प्रतिवादी संख्या 01 लिछमणसिंह के पिता कानसिंह का दिनाँक 29.07.2011 को स्वर्गवास हो चुका है। अतः वाद घोषणा खातेदारी का वाद पेश है।

राज्य–सरकार विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है इसलिए वाद से पूर्व दो माह की अवधि का नोटिस नहीं दिया गया है। मगर वाद में आवश्यक पक्षकार होने से नायब तहसीलदार मौलासर/तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद खेत खसरा नम्बर 235/61 रकबा 16.09 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के पिता कानाराम पुत्र नारायणराम कौम दरोगा के स्थान पर कानसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत के नाम रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाकर उनके स्थान पर भँवरसिंह व लिछमणसिंह पुत्रगण नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत के नाम से रिकॉर्ड में दुरस्त किया जावे।

वाद वर्णित खेत की खातेदारी में वादी के पिता नाम कानाराम पुत्र नारायणराम कौम दरोगा के स्थान पर कानसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति रावणा राजपूत के देहान्त पश्चात् जायज वारिशान् से राजस्व रिकॉर्ड खेत खातेदारी में घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के बावजूद

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–256/2017
दायर दिनाँक 11.09.2017, निर्णय दिनाँक 09.11.2017
भँवरसिंह बनाम् नाबग लिछमणसिंह, वगैरा।

तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का ओदश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वाद में राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री दानाराम भाटी ने की तथा प्रतिवादी संख्या 01 की पहचान वकील श्री जगदीश गिरी ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामा के मुताबिक पक्षकारान् दावा अनुसार, दावा डिक्री किया जाने पर सहमत हैं।

वाद के संलग्न वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम छापरीकलाँ सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 32/27 की प्रमाणित प्रतिलिपि, कानसिंह की मृत्यु दिनाँक 29.07.2011 का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, भारत–सरकार द्वारा जारी आधार नम्बर 498910496710 नाम–भँवरसिंह की स्वसत्यापित छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र क्रमांक RJ/25/194/429479 निर्वाचक का नाम भँवरसिंह की स्वसत्यापित छायाप्रति, परिवार राशन–कार्ड बार कोड संख्या 008256700392 ग्राम छापरीकलाँ की स्वसत्यापित छायाप्रति, पेश हुए।

वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गई। वकील वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। वकुलाय उभयपक्ष, वाद मुताबिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ने, कानसिंह की मृत्यु दिनाँक 29.07.2011 का प्रमाण–पत्र की छायाप्रति, भारत–सरकार द्वारा जारी आधार नम्बर 498910496710 की स्वसत्यापित छायाप्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र क्रमांक RJ/25/194/429479 निर्वाचक की स्वसत्यापित छायाप्रति, परिवार राशन–कार्ड बार कोड संख्या 008256700392 ग्राम छापरीकलाँ की स्वसत्यापित छायाप्रति पेश की है। उक्त पेश दस्तावेजात् में दर्ज अपने पिता का नाम "कानसिंह" के अनुसार ही, वादी, वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज नाम "कानाराम पुत्र नारायणराम, कौम–दरोगा" के स्थान पर "कानसिंह पुत्र नारायणसिंह, कौम–रावणा राजपूत" दुरस्त करवाना चाहते है। वादी भँवरसिंह द्वारा पेश साक्ष्य शपथ–पत्र के मुताबिक भँवरसिंह व लिछमणसिंह ही कानसिंह के पुत्रगण हैं। इस प्रकार "कानाराम पुत्र नारायणराम, कौम–दरोगा" ही "कानसिंह पुत्र नारायणसिंह, कौम–रावणा राजपूत" है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 इनकी मात्र जीवित सन्तानें हैं। पक्षकारान् द्वारा पेश मृत्यु प्रमाण–पत्र के अनुसार कानसिंह की मृत्यु हो चुकी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01, कानसिंह के विधिक वारिशान् हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–256/2017
दायर दिनाँक 11.09.2017, निर्णय दिनाँक 09.11.2017
भँवरसिंह बनाम् नाबय लिछमणसिंह, वगैरा।

है कि "कानाराम पुत्र नारायणराम, कौम दरोगा" अथवा "कानसिंह पुत्र नारायणसिंह कौम रावणा राजपूत' के वारिशान् वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम (वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता का नाम "कानाराम पुत्र नारायणसिंह, कौम–दरोगा" के स्थान पर "कानसिंह पुत्र नारायणसिंह, कौम–रावणा राजपूत" दुरस्त करते हुए) खातेदारी घोषित किया जाना, हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद छापरीकलाँ पटवार क्षेत्र छापरीकलाँ भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 235/61 रकबा 16.19 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के पिता का नाम "कानाराम पुत्र नारायणराम, कौम–दरोगा" के स्थान पर "कानसिंह पुत्र नारायणसिंह, कौम–रावणा राजपूत" दुरस्त किया जाकर, इस खसरे की की सम्पूर्ण भूमि का वादी भँवरसिंह व प्रतिवादी संख्या 01 लिछमणसिंह को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **09.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 256/2017

दायर दिनाँक 11.09.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. भँवरसिंह पुत्र कानसिंह, जाति—रावणा राजपूत, उम्र—52साल, निवासी—छापरीकलाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. लिछमणसिंह पुत्र कानसिंह, जाति—रावणा राजपूत, उम्र—50वर्ष, निवासी—छापरीकलाँ, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. नायब तहसीलदार, मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा— 88 R.T.Act., सपठित धारा 136 R.L.Act.

दिनाँक 09.11.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री दानाराम भाटी, अधिवक्ता, वादी व श्री जगदीश गिरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद छापरीकलाँ पटवार क्षेत्र छापरीकलाँ भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मौलासर तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान, में खसरा नम्बर 235/61 रकबा 16.19 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के पिता का नाम "कानाराम पुत्र नारायणराम, कौम—दरोगा" के स्थान पर "कानसिंह पुत्र नारायणसिंह, कौम—रावणा राजपूत" दुरस्त किया जाकर, इस खसरे की की सम्पूर्ण भूमि का वादी भँवरसिंह व प्रतिवादी संख्या 01 लिछमणसिंह को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग...........—............... बाबत....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें।बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.11.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner